का होलडिंग संख्या-190 पंजीकृत है। उक्त जमीन का लगान दिया जा रहा है। तदनुसार उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय के वाद आदेश को यथावत रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं कागजात का आवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय के आदेश में अंकित है कि "प्रश्नगत जमीन अन्तर्गत दाग सं0-499/B 499/C कुल 21 डी0 विपक्षी के पति एवं चाचा को Title Suit संख्या-41/1962 से प्राप्त है। उक्त जमीन के विरूद्ध पूर्व में आवेदकों के पुर्वजों द्वारा पूर्व में उक्त जमीन को लेकर विपक्षी के विरूद्ध रैयती उच्छेदी वाद संख्या-64/1962-63 भी दायर किया गया था। जिसे तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा खारिज कर विपक्षियों के पिता एवं चाचा के हक दावा को उक्त जमीन पर बरकरार रखा गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, जामताड़ा के नामांतरण वाद 53/1969-70 द्वारा नामांतरण भी विपक्षी के चाचा एव पिता के नाम स्वीकृत है तथा पंजी-II में भी जमाबंदी भी कायम है। विपक्षी द्वारा नियमित रूप से राजस्व लगान भी अदा किया जा रहा है। इसके अलावे उक्त जमीन अन्तर्गत दाग सं0-499/A अंश रकवा-37 डी0 जमीन Title Suit संख्या-170 से विपक्षी को प्राप्त है। जिसका नामांतरण विपक्षी के नाम से अंचल अधिकारी, जामताड़ा के नामांतरण वाद 213 से स्वीकृत पंजी-II में जमाबंदी कायम किया गया। विपक्षी द्वारा विषयगत जमीन का राजस्व लगान भी नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। उक्त 37 डी0 जमीन में से 07 डी0 जमीन विपक्षी के पूर्वजों द्वारा मौजा-धाँधड़ा में मदरसा एवं मस्जिद निर्माण हेतु दान में दिया गया है। शेष 30 डी0 जमीन विपक्षियों का दलख कब्जा है।"

इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No.-11/2008-09 शेख कुर्बान अली एवं अन्य बनाम मो0 रियाज अंसारी एवं अन्य में दिनांक-08.02.2017 को पारित आदेश वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यायसंगत है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No.-11/2008-09 शेख कुर्बान अली एवं अन्य बनाम मो0 रियाज अंसारी एवं अन्य में दिनांक-08.02.2017 को पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

बिक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय की शरण में जाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

13.9.24
उपायुक्त,
जामताड़ा।

13.9.24
उपायुक्त,
जामताड़ा।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

3.9.24

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

वाद संख्या-R.M.A.-28/2017-18

नाजिर शेख एवं अन्य **बनाम** मो0 रियाज अंसारी

आदेश

यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No.-11/2008-09 शेख कुर्बान अली एवं अन्य बनाम मो0 रियाज अंसारी एवं अन्य में दिनांक-08.02.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है।

अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No.-11@2008&09 शेख कुर्बान अली एवं अन्य बनाम मो0 रियाज अंसारी में दिनांक-08.02.2017 द्वारा मौजा-धाँधड़ा, खाता सं0-03, दाग सं0-499, कुल रकवा-58 डी0 में 30 डी0 जमीन पर मो0 रियाज अंसारी एवं अन्य का दखल कब्जा एवं वैधानिक दावा का जिक्र करते हुए शेख कुर्बान अली एवं अन्य द्वारा रैयती उच्छेदी हेतु दाखिल आवेदन को खारिज किया गया है।

अपीलकर्त्ता शेख कुर्बान अली एवं अन्य के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। शेख कुर्बान अली के स्थान पर उनके मृत्यु के पश्चात् उसके 04 (चार) पुत्र नाजिर शेख, कादिर शेख, खोलु शेख एवं पोले शेख का नाम प्रतिस्थापन करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है, उक्त प्रतिस्थापन आवेदन के अनुसार शेख कुर्बान अली के 04 (चार) पुत्र नाजिर शेख, कादिर शेख, खोलु शेख एवं पोले शेख का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है। अपीलकर्त्तागण गत सर्वे खतियान के अनुसार मौजा-धाँधड़ा, खाता सं0-03 के खतियान में दर्ज खतियान रैयत औलाद अली के वंशज एवं उत्तराधिकारी है। उक्त जमाबंदी सं0-03 के खाता संख्या-499, कुल रकवा-60 डी0 कृषि योग्य अहस्तांतरणीय जमाबंदी जमीन है। जिस पर रियाज अंसारी एवं अन्य द्वारा फर्जी कागजात का आधार पर एवं Title Suit संख्या-41/1969-70 में दाग सं0-499 का अंश रकवा-21 डी0 एवं Title Suit संख्या-170/1968 में उक्त दाग नं0-499/A में 37 डी0 जमीन फर्जी तरीके से सुलहनामा के आधार पर हड़प लिया गया। प्रश्नगत जमीन कृषि योग्य भूमि होने के कारण संथाल परगना कास्ताकारी अधिनियम-1949 के धारा-20, एवं 42 के तहत पूर्ण रूप से अहस्तांतरणीय भूमि है, जिसे पटना उच्च न्यायालय द्वारा Ram Narayan Sah **V/s** Sated of Bihar 1976 BLJR 15 में उद्धत है, Compromise decree in Title suit in not valid i.e. collusive title suit. अपीलकर्त्ता का विज्ञ अधिवक्ता को पुनः कहना है कि अगर विपक्षी को घर बनाने हेतु जमीन की जरूरत थी। उनके द्वारा एक ही जमीन का दो-दो बार Title Suit दायर कर सुलहनामा करने की क्या आवश्यकता थी तथा उसके द्वारा कपट पूर्वक धोखाधड़ी कर जमीन हड़प लिया गया। 1969 में घर बनाने हेतु जमीन लिया गया लेकिन अभी तक उसके द्वारा बाँस की टाटरी से घेराबन्दी कर रखा गया, कोई घर नहीं बनाया गया है। तदोपरान्त उनके द्वारा निम्न न्यायालय का आदेश को निरस्त करते हुए प्रश्नगत जमीन खतियानी रैयत के हाल के वारिशानों को वापस करने हेतु प्रार्थना किया गया।

उत्तरवादी का विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि उनके पूर्वज मो0 आयुब एवं मो0 आलम को मौजा-धाँधड़ा, खाता सं0-06, दाग सं0-499 के अंश रकवा-58 डी0 जमीन Title Suit संख्या-41/1969-70 एवं Title Suit संख्या-170/1968 द्वारा उक्त दाग नं0-499/A, 499/B, 499/C जमीन प्राप्त हुआ। अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No.-14/1962-63 के आदेश के आलोक में मो0 आयुब एवं मो0 आलम को वैधानिक दखल प्राप्त है। अंचल अधिकारी, जामताड़ा के Mutation Case No.-213/1969-70 एवं Mutation Case No.-213/1969-70 द्वारा मो0 आयुब एवं मो0 आलम विपक्षी संख्या-01 के ससुर एवं विपक्षी संख्या-02 के पिताजी के नाम पर उक्त जमीन का नामांतरण किया गया। मो0 आयुब एवं मो0 आलम के मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी के रूप में विपक्षी को जमीन प्राप्त हुआ, जिस पर पक्का कुआँ एवं बहुत सारे पेड़ लगे हुए है। अधिसूचित क्षेत्र समिति जामताड़ा

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2024.10.01 11:20:58 +05:30
Location: 192.168.43.106